Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,
ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति जाट निवारी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम गणेशकुमार वगै. मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 32/2025 **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.02.2025	आज यह प्रार्थना पत्र ओमप्रकाश ने जरिये श्री श्रवण कुमार गोदारा अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मननं किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 18.43 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.04.2025 को पेश हों । (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
22.04.2025	पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते Reg AD तलबी आयन्दा दिनांक 10.06.2025 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	ओमप्रकाश V/S गजेन्द्रकुमार आदि के.नं. 32/2025	
28.4.2025	आज सह पत्रावली प्रार्थी के जरिये अधिवक्ता प्रा. पत्र मिसल पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रा. पत्र व मिसल पत्रावली देखी। प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वर्तमान में मामला प्रा. पत्र को आगे जारी रखना नहीं चाहता है, इसलिए उक्त प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अपने अधिकारों एवं पुनः पेश करने की अनुमति के साथ में वापस लेना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हक [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति वांछित रिकार्ड में जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 18:03:44 IST
Reason: SelfAttested